

**इलाहाबाद उच्च न्यायालय, लखनऊ****आपराधिक विविध जमानत प्रार्थना पत्र संख्या - 3906 वर्ष 2026**

सर्तेंद्र उर्फ सर्तेंद्र यादव

.....आवेदकगण

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य द्वारा प्रमुख सचिव गृह विभाग लखनऊ एवं 3

.....विरोधी पक्षकारगण

अन्य

आवेदकगण के अधिवक्ता : उमेश चंद्र विश्वकर्मा, अभिषेक कुमार

विरोधी पक्षकारगण के अधिवक्ता : शासकीय अधिवक्ता

न्यायालय संख्या - 11**माननीय न्यायमूर्ति राजीव सिंह**

1. आवेदक के विद्वान अधिवक्ता तथा राज्य की ओर से विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता को सुना गया।
2. वर्तमान जमानत प्रार्थना पत्र आवेदक द्वारा मुकदमा अपराध संख्या 89 वर्ष 2026, अंतर्गत धारा 137(2), 87 बीएनएस, थाना दुबग्गा, जनपद लखनऊ में, उसे जमानत पर रिहा किये जाने की प्रार्थना के साथ दाखिल किया गया है।
3. विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता अवगत कराते हैं कि वर्तमान मामले की विचाराधीनता के संबंध में परिवादी को पहले ही सूचना दी जा चुकी है।
4. वर्तमान मामले के परिवादी को संबोधित, थानाध्यक्ष/विवेचक द्वारा विधिवत हस्ताक्षरित दिनांक 16.05.2026 की लिखित नोटिस, जो न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत की गई, अभिलेख पर ली जाती है।
5. चूंकि परिवादी पर नोटिस की तामील पहले ही हो चुकी है, अतः वर्तमान मामले के परिवादी को नोटिस जारी किये जाने की कोई आवश्यकता नहीं है।

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।

6. आवेदक के विद्वान अधिवक्ता कथन करते हैं कि आवेदक को वर्तमान मामले में झूठा फंसाया गया है। विवेचना के दौरान, पीड़िता का बयान धारा 180 एवं 183 बीएनएसएस के अंतर्गत अंकित किया गया, जिसमें, उसने स्पष्ट रूप से अभियोजन के कथन से इनकार करते हुए कहा कि उसे उसके पिता ने डांटा था, जिसके परिणामस्वरूप, उसने अपना घर छोड़ दिया तथा अपनी स्वयं की इच्छा से आवेदक का साथ स्वीकार कर लिया। वे आगे कथन करते हैं कि आवेदक का कोई आपराधिक इतिहास नहीं है तथा वह दिनांक 23.03.2026 से जेल में है। वे यह भी कथन करते हैं कि अभिरक्षा में पूछताछ की कोई आवश्यकता नहीं है, अतः, आवेदक जमानत का अधिकारी है।

7. विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता आवेदक की प्रार्थना का पुरजोर विरोध करते हैं। तथापि, वे इस तथ्य पर विवाद नहीं करते कि विवेचना के दौरान, पीड़िता का बयान अंकित किया गया, जिसमें, उसने स्पष्ट रूप से कहा कि उसे उसके पिता ने डांटा था, तत्पश्चात, उसने अपना घर छोड़ दिया तथा आवेदक, जो उसका परिचित था, का साथ स्वीकार कर लिया और उसने उसके साथ कोई शारीरिक संबंध नहीं बनाया।

8. पक्षकारों के विद्वान अधिवक्तागण के कथनों पर विचार करते हुए तथा जमानत प्रार्थना पत्र एवं प्रथम सूचना रिपोर्ट की अंतर्वस्तु, जिसमें धारा 180 एवं 183 बीएनएसएस के अंतर्गत अंकित पीड़िता का बयान सम्मिलित है, का अवलोकन करने पर, यह स्पष्ट है कि पीड़िता ने अभियोजन के कथन का समर्थन नहीं किया है। अतः, यह जमानत हेतु उपयुक्त मामला है।

9. जमानत प्रार्थना पत्र **स्वीकार** किया जाता है।

10. आवेदक - **सतेंद्र उर्फ सतेंद्र यादव**, जो उपरोक्त मुकदमा अपराध में संलिप्त है, को संबंधित न्यायालय की संतुष्टि के अनुसार एक निजी मुचलका तथा उतनी ही धनराशि की दो प्रतिभूतियां प्रस्तुत करने पर, निम्नलिखित शर्तों के अधीन जमानत पर रिहा किया जाये :

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



(1) आवेदक उस अपराध के समान कोई अपराध कारित नहीं करेगा और न ही उसमें भाग लेगा, जिसका वह अभियुक्त है, या संदिग्ध है, अथवा जिसके कारित किये जाने का वह संदिग्ध है।

(2) आवेदक प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से मामले के तथ्यों से परिचित किसी भी व्यक्ति को कोई प्रलोभन, धमकी अथवा वचन नहीं देगा, जिससे उसे ऐसे तथ्यों को न्यायालय अथवा किसी पुलिस अधिकारी के समक्ष प्रकट करने से रोका जा सके, और न ही साक्ष्य से छेड़छाड़ करेगा।

(3) आवेदक इस आशय का वचनपत्र दाखिल करेगा कि वह साक्ष्य हेतु नियत तिथि पर, जब गवाह न्यायालय में उपस्थित हों, कोई स्थगन नहीं चाहेगा। इस शर्त का पालन न होने की दशा में, विचारण न्यायालय के लिए यह विकल्प खुला रहेगा कि वह इसे जमानत की स्वतंत्रता का दुरुपयोग मानते हुए विधि के अनुसार आदेश पारित करे।

(4) आवेदक विचारण न्यायालय के समक्ष प्रत्येक नियत तिथि पर, या तो स्वयं अथवा अपने अधिवक्ता के माध्यम से, उपस्थित रहेगा। पर्याप्त कारण के बिना उसकी अनुपस्थिति की दशा में, विचारण न्यायालय धारा 229-ए आई.पी.सी./269 बी.एन.एस. के अंतर्गत उसके विरुद्ध कार्यवाही कर सकता है।

(5) यदि आवेदक विचारण के दौरान जमानत की स्वतंत्रता का दुरुपयोग करता है तथा उसकी उपस्थिति सुनिश्चित करने हेतु धारा 82 सी.आर.पी.सी./84 बी.एन.एस.एस. के अंतर्गत उद्घोषणा जारी की जा सकती है और यदि आवेदक ऐसी उद्घोषणा में नियत तिथि पर न्यायालय के समक्ष उपस्थित होने में विफल रहता है, तब विचारण न्यायालय विधि के अनुसार धारा 174-ए आई.पी.सी./209 बी.एन.एस. के अंतर्गत उसके विरुद्ध कार्यवाही प्रारंभ करेगा।

(6) आवेदक विचारण न्यायालय के समक्ष (1) मामले के प्रारंभ, (2) आरोप विरचन; तथा (3) धारा 313 सी.आर.पी.सी./351 बी.एन.एस.एस. के अंतर्गत बयान अंकित किये जाने हेतु नियत

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



तिथियों पर व्यक्तिगत रूप से उपस्थित रहेगा। यदि विचारण न्यायालय की राय में आवेदक की अनुपस्थिति जानबूझकर अथवा पर्याप्त कारण के बिना है, तब विचारण न्यायालय के लिए यह विकल्प खुला रहेगा कि वह ऐसी चूक को जमानत की स्वतंत्रता का दुरुपयोग मानते हुए विधि के अनुसार उसके विरुद्ध कार्यवाही करे।

11. उपरोक्त शर्तों में से किसी के भी उल्लंघन की दशा में, यह जमानत निरस्तीकरण का आधार होगा।

10 जून, 2026

अर्पण

(न्यायमूर्ति राजीव सिंह)

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।